

26th 6/24 पनावली चेस हुई। वकील उममपक्ष उचण।
 पनावली वास्ते लबाक अपाधी से। 10/19, 21
 व तलवी अपाधी से 10/19, 21 को चेस हो।
 लबाक डि 10/19, 21 को चेस हो।
 उपखण्ड अधिकारी
 बांदीकुई

10th 03/24 पनावली चेस हुई। वकील उममपक्ष उचण।
 अपाधीगिन से 20, 22 लगा 25 बांदीकुई तभील
 जयें 10/19, 21 आरिन उप वही आये। तलवी को
 एक माह से मंथित समय हो चुका हो। अतः अपाधीगिन
 से 20, 22 लगा 25 के बिरुद्ध उपखणीय कार्यवाही
 समय में लाई जाती हो वास्ते लबाक अपाधी से
 10/19, 21 पनावली निर्माक 15.8.24 को चेस हो।
 उपखण्ड अधिकारी
 बांदीकुई

5th 6/24 पनावली चेस हुई। वकील उममपक्ष उचण।
 अपाधीगिन पर लबाक अपाधी निषेधावा पर वकील उममपक्ष
 बंदस सुनी। पनावली का केवलोकन किया
 गया। मूलवाद दावा तकास्मा एवं लबाक निषे-
 धावा का है। जो कि लबाक निषेध डिग्री हो चुका है।
 मूलवाद का फलित दस्तावेज साक्ष्य व सुनावण
 के आधार पर विधिवत निस्तारण किया जाना है।
 24/2

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत

कलेक्टर

मुकाम

बांदीकुई

मुकदमा

बनाम

नं०

सन् २०२१

खि

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

(क्या) भूमि का दस्तावेज भी के सहकारदार
 ही प्रकरण में दस्तावेज भी में स्थान
 को भी उपाय होने से क्या भूमि को
 दस्तावेज भी के उपाय उपकरण में
 काया उत्पन्न होगा जाहिर है सहकारदार
 होने से क्या भूमि का दस्तावेज भी में
 दिए निहित है अतः प्रकाश प्रकाशिक डिजी
 होने एवं क्या भूमि का दस्तावेज भी में
 सहकारदार होने से प्रकरण में दस्तावेज भी
 बाहर जारी प्रमाण को निरस्त किया
 जाना उचित नहीं होगा अतः उक्त पक्ष
 कील बहस पर मनन करने एवं पनावली के
 अवलोकन के आधार पर प्रकरण में दस्तावेज भी
 खाल से नया-9 पुराना-9 ख.नं. 1163/1286,
 1164, 1165, 1167, 1181, 1182, 1386/1335, 844
 लगा 856, 856/1284, 857, 858, 859 कुल
 कित-24 कुल रकबा-6.09 हेक्टर बाँके रामा
 ग्राम-पीपुआडा मुई रह बाँडी मुई जिला-कोसा
 न खाल से नया-68 पुराना-69 ख.नं. 1162,
 1166, 1173 कुल कित-3 कुल रकबा 0.72
 हेक्टर बाँके रामा ग्राम पीपुआडा मुई रह बाँडी मुई
 जिला-कोसा बाहर जारी कन्ट्रिम कन्ट्रिम
 निषेधाज्ञा को भी दिनांक 11-09-2023 के
 कित जाहिर है तथा प्रमाण पत्र कन्ट्रिम निषेधाज्ञा

अपेक्षा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्राप्तगीत नही होने से ब्यारिफ किया जा रहा है।
पमावली सिसलशुमार होने पर तत्कालीन
दाखिल दफतर हो।

24 E-581M
उपखण्ड अधिकारी
बांसीकुई

[illegible]